संख्या-39/2018-1841 ई-2/तेरह-2018-82/2006

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊ:: दिनांक 01 जून,2018**

विषय:- मे0 डालमिया चीनी मिल्स (आसवनी इकाई) यूनिट निगोही, शाहजहांपुर को आसवनी स्थापना हेतु पी0डी0-33 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-12/दो-प्रा0डी0-194, दिनांक 02 मई,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र 02 मई, 2018 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मे0 डालमिया चीनी मिल्स (आसवनी इकाई) यूनिट निगोही, शाहजहांपुर द्वारा 60 किलोलीटर प्रतिदिन (330 दिवस के आधार पर 198 लाख लीटर वार्षिक) क्षमता की आसवनी, जिसके अन्तर्गत 60 किलोलीटर प्रतिदिन ई0एन0ए0/आर0एस0/अब्सोल्यूट अल्कोहल उत्पादन हेतु प्लान्ट की स्थापना की अनुमति हेतु पी0डी0-33 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने तथा आसवनी की स्थापना के पश्चात् बाजार की मॉग के अनुसार शोधित आसव, ई0एन0ए0, डिनेचर्ड स्प्रिट/स्पेशली डिनेचर्ड स्प्रिट एवं अब्सोल्यूट अल्कोहल के विक्रय की अनुमति एतद्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि इकाई द्वारा केवल औद्योगिक प्रयोजन हेतु अल्कोहल का उत्पादन/विक्रय किया जायेगा और पेय मदिरा हेतु अनुमन्य नहीं होगा। साथ ही इकाई द्वारा आसवनी स्थापना के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय विधियों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in